

### St. Thomas College, Bhilai

Affiliated to Hemchand Yadav Vishwavidyalaya Durg, Chhattisgarh.

#### **Extended profile**

- 2.Students
- 2.2: Number of seats earmarked for reserved category as per GOI\State Govt rule year-wise during last five years.



Submitted to National Assessment and Accreditation Council 2016 - 2021



## ST. THOMAS COLLEGE

RUABANDHA, BHILAI - 490 006, DURG (DIST.) CHHATTISGARH (A Post Graduate College, Affiliated to Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg)

NAAC Reaccredited With B++ Grade

email ID: stthomascollege bhilai@rediffmail.com

2 0788-2275970 Website: www.stthomascollegebhilai.in

2.2 Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule. In case of Minority Institutions, the column others may be used and the status of reservation for minorities specified along with supporting documents.

Year	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule						
	SC-12%	ST-32%	OBC-14%	Gen	Others (50% of seats - minority	Total Year marked	Total
2016-2017	421	1125	492	1376	100 (BEd)	2138	3514
2017-2018	425	1134	496	1389	100 (BEd)	2155	3544
2018-2019	431	1150	503	1410	100 (BEd)	2184	3594
2019-2020	434	1157	506	1417	100 (BEd)	2197	3614
2020-2021	436	1163	509	1426	100 (BEd)	2208	3634

michand Yadav Universit; Seal and Signature of Registrar

Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg

Seal and Signature of Principal


St. Thomas College, Bhilai PRINCIPAL ST. THOMAS COLLEGE, BHILAI RUABANDHA, BALLAI ( G.G.)

## छत्तीसगढ़ शासन

# उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत



प्रवेश हेतु प्राथमिकता :--

रनातक / रनातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अईकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

रनातक / रनातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यार्थ

विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेंट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

रनातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी में महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुकम से प्रवेश दिया जाए।

किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर किसी में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही विया जा सकेंगा। आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा:—

प्रत्येक शेक्षणिक सन्न में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शेक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् —

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में सं <u>वत्तीस प्रतिशक्</u> सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुझप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत कम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलकार के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे विपरीत कम में विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इस अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों / भूतपूर्व रंगिक स्वतंत्रता संग्राम् सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के सबंध में क्षेतिज आरक्षण क प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर इस अधिनियन क

2

ST. THOMAS COLLEGE, BHILA!

FINAL PRAVESH MARGDARSHIKA 2021-22